

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

77वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2021 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

क्र सं	कार्य बिंदु	कृत कार्यवाही
1.	<p>शासन से संबंधित कार्य बिंदु</p> <p>(क) वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें समस्त बैंक अंकित ग्राम पंचायत के समुख बैंक षाखा/बी.सी./बैंक मित्र/पेमेंट बैंक से आच्छादित/अनाच्छादित वर्णित करेंगे।</p> <p style="text-align: center;">(कार्यवाही : वित्त विभाग)</p> <p>(ख) बी.सी./बैंक षाखाओं द्वारा ग्राहकों को बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने हेतु इन्टरनेट कनेक्टिविटी व स्पीड प्रदान करने के लिए शासन स्तर पर स्टेकहोल्डर्स से इस दिशा में प्रयास करवाये जायेंगे।</p> <p style="text-align: center;">(कार्यवाही : ITDA विभाग)</p> <p>(ग) जिला प्रषासन सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) अंतर्गत अधिकतम लोगों को आच्छादित करने हेतु तथा योजना का लाभ जन-जन तक पहुंचाने हेतु जिला स्तर पर संयुक्त कार्यषाला (Joint Workshop) का आयोजन करेंगे।</p> <p style="text-align: center;">(कार्यवाही : जिला प्रशासन)</p> <p>(घ) पर्यटन विभाग/उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि० विभाग योजना अन्तर्गत तैयार पोर्टल को user friendly बनाने हेतु आवश्यक संसोधन करेंगे, जिससे योजना अंतर्गत प्रगति हेतु बैंक नियंत्रक और एस.एल.बी.सी. अनुवर्ती एवं निगरानी (follow up and monitoring) कार्यवाही कर सकें।</p> <p style="text-align: center;">(कार्यवाही : पर्यटन विभाग / उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि०)</p> <p>(ङ) District Industries Centre (DIC) एवं Khandi and Village Industries Commission (KVIC) विभाग MSY एवं PMEGP ऋण के लाभार्थियों को ऑनलाईन / ॲफलाईन Entrepreneur Development Programme (EDP) प्रषिक्षण समय पर करवाने की व्यवस्था करेंगे</p> <p>(च) उद्योग विभाग, राज्य में कार्यरत समस्त एम.एस. एम.ई. इकाईयों का उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करायेंगे (विभाग : उद्योग विभाग)</p>	<p>(क) उक्त सूची वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त हो गयी है, जिसे अग्रणी जिला प्रबन्धकों को उनकी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गयी है। इस विषयक 04 अग्रणी जिला प्रबन्धकों (देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा) से सूचना प्राप्त होना प्रतीक्षित है।</p> <p>(ख) एस.एल.बी.सी. द्वारा ITDA विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। उक्त विषयक सूचना प्रतीक्षित है।</p> <p>(ग) दिनांक 01.09.2021 से 15.09.2021 तक आयोजित कैम्पों में प्रतिभागियों को सामाजिक सुरक्षा योजना विषयक जानकारी प्रदान की जा रही है।</p> <p>(घ) पर्यटन विभाग द्वारा सम्बन्धित पोर्टल में सुधार कर लिया गया है।</p> <p>(ङ) District Industries Centre (DIC) एवं Khandi and Village Industries Commission (KVIC) विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि लाभार्थियों को online / offline प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहे हैं।</p> <p>(च) उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रगतिशील है।</p>

<p>२ एस.एल.बी.सी. से संबंधित कार्य बिंदु:</p> <p>(क) वित्त विभाग, उत्तराखण्ड षासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्राम पंचायतों की सूची के सम्मुख आच्छादित बैंक षाखा/बी.सी./बैंक मित्र/पेमेंट बैंक का नाम अंकित करवाकर, सूची षासन को प्रेषित करेंगे।</p> <p>(ख) CFL Project स्थापित करने हेतु प्रायोजित बैंकों (SBI, PNB, BOB) एवं CRISIL Foundation (NGO) के मध्य MOU sign होना है।</p>	<p>(क) उक्त विषयक 09 अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गयी है तथा अवधेष 04 अग्रणी जिला प्रबन्धकों (देहरादून, बागेष्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा) द्वारा कार्य प्रगतिषील है।</p> <p>(ख) उक्त विषयक प्रायोजित बैंकों (SBI, PNB, BOB) एवं CRISIL Foundation (NGO) के मध्य प्रथम चरण में ब्लाकों में CFL खोलने हेतु MOU sign हो गया है।</p>
<p>३. भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य बिंदु:</p> <p>बैंकों द्वारा जिन ऋणियों को कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान किया गया है, बैंकों द्वारा उनका वर्गीकरण उद्यम आधार लेने के पश्चात कृषि क्षेत्र से एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में किया जाना है। अतः इस विषयक भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों हेतु दिषानिर्देश उपलब्ध करायेंगे।</p>	<p>इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों को उनकी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गयी है।</p>
<p>४. अग्रणी जिला प्रबन्धकों से संबंधित कार्य बिंदु :</p> <p>(क) अग्रणी जिला प्रबन्धक हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) in Aspirational District Programme (ADP) में दिये गये मासिक लक्ष्यों को 30 सितम्बर, 2021 तक प्राप्त करने हेतु बैंकों को निर्देषित कर, इस विषयक अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे।</p> <p>(ख) देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेष्वर एवं चम्पावत जिले के अग्रणी जिला प्रबन्धक ऋण जमा अनुपात की निगरानी हेतु गठित Special Sub-Committee (SSC) of District Consultative Committee (DCC) की विषेष उप-समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित कर, ऋण जमा अनुपात की समीक्षा करेंगे एवं जिले का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु विभागों एवं बैंकों से समन्वय स्थापित करेंगे।</p> <p>एस.एल.बी.सी. को ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु Monitorable Action Plan प्रेषित किया जाय।</p>	<p>(क) अग्रणी जिला प्रबन्धक हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर द्वारा Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) in Aspirational District Programme (ADP) में दिये गये मासिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है तथा DLRC की बैठक में प्रगति की समीक्षा की जा रही है।</p> <p>(ख) उक्त विषयक सम्बन्धित जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा Special Sub-Committee (SSC) of DCC की बैठक में प्रगति की समीक्षा की जा रही है तथा समीक्षा बैठक में बैंक षाखाओं को लक्ष्य आवंटित करने, एक्षन प्लान बनाये जाने तथा अग्रिम बढ़ाये जाने हेतु निर्देषित किया जा रहा है।</p> <p>LDMs से एस.एल.बी.सी. को Monitorable Action Plan प्राप्त होना अवधेष है।</p>
<p>५. बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु :</p> <p>(क) बैंक In-Active बी.सी. को Active करने हेतु प्रयास करेंगे तथा In-Active बी.सी. के स्थान पर नये बी.सी. की नियुक्ति करेंगे।</p> <p>(ख) बैंक अवधेष 1308 बी.सी. को बी.सी. सार्टिफिकेट कोर्स पूर्ण करायेंगे, ताकि सभी B.C. का Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) द्वारा Certification हो जाये।</p>	<p>(क) बैंकों द्वारा In-Active बी.सी. को Active करने अथवा उनके रखान पर नये बी.सी. नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रगतिषील है।</p> <p>(ख) बैंकों द्वारा बी.सी. को Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) से बी.सी. सार्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण करायें जाने की प्रक्रिया प्रगतिषील है।</p>

<p>(ग) हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिले में कार्यरत बैंक षाखाओं द्वारा Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) in Aspirational District Programme (ADP) में दिये गये मासिक लक्ष्यों को 30 सितम्बर, 2021 तक पूर्णतय प्राप्त करेंगे।</p> <p>(घ) कोटक महिन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक Standardized System (Block wise mapping) का कार्य अतिषीघ पूर्ण करेंगे।</p> <p>समस्त बैंक जून, 2021 त्रैमास का डाटा RBI द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप SLBC India Portal पर अपलोड करेंगे।</p> <p>(ङ) बैंक देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं चम्पावत जिले में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु कार्य करेंगे।</p> <p>(च) बैंक षाखायें 30 जुलाई, 2021 तक कृषकों के खातों से बीमा प्रीमियम की राशि डेबिट कर, पी.एम.एफ.बी.वाई. पोर्टल पर अपलोड करेंगे।</p> <p>(छ) कोविड महामारी में एम.एस.एम.ई. को राहत देने हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Resolution Framework 2.0 की योजना के तहत, बैंक योग्य खातों एवं इच्छुक ऋणियों के खातों की Restructuring निर्धारित समय सीमा में करेंगे।</p>	<p>(ग) हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिले में कार्यरत बैंक षाखाओं द्वारा Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) in Aspirational District Programme (ADP) में दिये गये मासिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य किया जा रहा है।</p> <p>(घ) कोटक महिन्द्रा बैंक एवं एक्सेस बैंक द्वारा Standardized System (Block wise mapping) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, राज्य सहकारी बैंक द्वारा मैपिंग किये जाने का कार्य अवधेष्ठ है। बैंकों द्वारा SLBC India Portal पर डाटा अपलोडिंग का कार्य प्रगतिशील है।</p> <p>(ङ) देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं चम्पावत जिले में कार्यरत बैंक षाखायें अग्रिम बढ़ाये जाने हेतु प्रयासरत हैं।</p> <p>(च) उक्त कार्य बैंकों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।</p> <p>(छ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Resolution Framework 2.0 की योजना के तहत योग्य खातों एवं इच्छुक ऋणियों के खातों की Restructuring का कार्य प्रगतिशील है।</p>
--	--